**न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी औसिया ,**
**पीठासीन अधिकारी – रतनलाल रेंगर आर.ए.एस.**
**प्रार्थना पत्र संख्या –** 165/14
**प्रार्थीगण:–**

1 चुतरसिंह पुत्र श्री नारायणसिंह
2 शैतानसिंह पुत्र श्री चेनसिंह
3 शेरसिंह पुत्र श्री सायरसिंह
4 छोटुसिंह पुत्र श्री गम्भीरसिंह
5 नाथुसिंह पुत्र श्री करणसिंह
जाति राजपूत निवासी ओमपुरा जाखण
तहसील औसिया जिला जोधपुर ।

**–: ब ना म :–**

**अप्रार्थीगण:–**

1 रुगाराम पुत्र श्री खेमाराम
2 सोनाराम पुत्र श्री खेमाराम
3 हरजीराम पुत्र श्री खेमाराम
4 सुगनाराम पुत्र श्री रेंवतराम
जाति जाट निवासी ओमपुरा जाखण
तहसील औसिया जिला जोधपुर ।

**उपस्थित**

1 श्री चन्दनसिंह भाटी, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2 श्री राजेन्द्र चौधरी ,अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से ।

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए. आर.टी.एक्ट.**

**– निर्णय –** **दिंनाक –**29/1/19

इस प्रकरण के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम जाखण की सरहद मे स्थित खसरा नम्बर 649/1 रकबा 19 बीघा 16 बीस्वा भूमि प्रार्थीगण के नाम से खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा आई हुई है। चालु जमाबन्दी की नकल

उप खण्ड अधिकारी
एवं
सहायक कलेक्टर व
कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ओसियाँ

Scanned by CamScanner

साथ मे पेश है तथा नजरी नक्शा साथ मे पेश है जो प्रार्थना पत्र का भाग व अंग समझा जावे। खसरा की भूमि के उतरी तरफ खसरा नम्बर 663 रकबा 22 बीघा 6 बीस्वा भूमि अप्रार्थीगण के नाम की खातेदारी की व कब्जा काश्त सुदा आई हुई है । उक्त भूमि से आगे उतर मे रास्ता आया हुआ है । उपरोक्त वर्णित प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि मे आने जाने हेतू कटाणी रास्ते से अप्रार्थीगण की भूमि मे से कदीमी रास्ता चलता है जिसे नजरी नक्शे मे मार्क **ए** से **बी** दर्शाया गया है इसके अलावा प्रार्थीगण की भूमि मे आने जाने के लिए दुसरा कोई वैकल्पिक रास्ता नही है । अप्रार्थीगण ने हाल ही मे उक्त रास्ते को अवरूद्ध व बन्द करने पर आमादा है । प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को उक्त रास्ता राजस्व रेकर्ड मे दर्ज करवाने के लिए कहा किन्तु उक्त रास्ते का मामला पारस्परिक सहमती से तय नही हुआ । प्रार्थी को उक्त रास्ता कटान के रास्ते से अप्रार्थीगण की भूमि के अन्दर 20 फुट चोडा प्रार्थीगण की भूमि तक तय किया जाकर राजस्व रेकर्ड मे रास्ता दर्ज किया जावे । प्रार्थीगण विधि अनुसार एवं डी.एल.सी. की असिंचित भूमि की दर के अनुसार रास्ते की भूमि का प्रतिकर न्यायालय हाजा द्धारा अवधारित करने पर अदा करने के लिए तैयार है । अप्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि असिंचित है । प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि मे रहवासी ढाणी बनी हुई है तथा सिंचित भूमि है । कटाण के रास्ते से प्रार्थीगण की भूमि मे खांद बींज व अनाज एवं चारा आदि की झाले व ट्रक आने जाने के लिए बीस फुट चोडे रास्ते की आवश्यकता है जिससे की ट्रक व चारे की झाले आसानी से आ जा सके एवं आवागमन मे कोई असुविधा नही हो । प्रार्थीगण को उक्त रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है एवं नजरी नक्शे मे दर्शाया गया रास्ता लघुतम् एवं निकटतम् रास्ता है ।

प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिश जारी किये गये ,बाद तामील अप्रार्थीगण की तरफ से श्री राजेन्द्र चौधरी अधिवक्ता द्वारा वकालत नामा पेश किया गया । अप्रार्थीगण की ओर से जबाब प्रस्तुत किया जिसमे प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का खण्डन किया । हल्का आर.आई. से मौका रिपोर्ट तलब की जाकर सामिल मिसल की गई दोनो अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई व पत्रावली व आर.आई. रिपोर्ट का

उप खण्ड अधिकारी
एवं
सहायक कलेक्टर व
कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ओसियाँ

Scanned by CamScanner

ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया न्यायहित मे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है । ग्राम जाखणा के खेत खसरा नम्बर 663 मे से हल्का आर.आई फर्द मौका रिपोर्ट मे नजरी नक्श के अनुसार 3 गट्ठा चोडा रास्ता कुल रकबा 12 बीस्वा भूमि का रास्ते के उपयोग हेतु घोषित किया जाता है । प्रार्थीगण से नियमानुसार प्रतिकर की राशि का भुगतान करवाया जाकर राजस्व रेकर्ड व लठ्ठा ट्रेश मे अमल दरामद किया जावे । तहसीलदार को तहरीर जारी की जावे । पत्रावली फैसल सुमार की जाकर दाखिल दफ्तर हो ।

उप खण्ड अधिकारी

सहायक कलेक्टर, ओसियां

सहायक कलेक्टर व
कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ओसियाँ

आदेश आज दिंनाक 29/1/19 को खुले न्यायालय मे सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया ।

उप खण्ड अधिकारी

सहायक कलेक्टर ,औसिया।

सहायक कलेक्टर व
कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ओसियाँ

Scanned by CamScanner